35

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं तथा निवेश

और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

[अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

पैंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ श्रावण, 1943 (शक)

पैंतीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं तथा निवेश

और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

[अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

3 अगस्त, 2021 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया।

3 अगस्त, 2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ श्रावण, 1943 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना.....

प्राक्कथन.....

अध्याय- एक	प्रतिवेदन .....
अध्याय- दो	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है .....
अध्याय- तीन	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती...
अध्याय- चार	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति ने स्वीकार नहीं किए हैं .....
अध्याय –पांच	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं .....

अनुबंध

अनुबंध-एक : राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक(एनएबीएफआईडी) की स्थापना के संबंध में श्वेत पत्र

समिति की 29 जुलाई, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

परिशिष्ट

अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री बालाशोरी वल्लभनेनी
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
7. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
8. श्रीमती सुनीता दुग्गल
9. श्री गौरव गोगोई
10. श्री सुधीर गुप्ता
11. रिक्त
12. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
13. श्री पिनाकी मिश्रा
14. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
15. प्रो. सौगत राय
16. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
17. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
20. श्री राजेश वर्मा
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. रिक्त
23. श्री ए. नवनीतकृष्णन
24. श्री प्रफुल्ल पटेल
25. डॉ. अमर पटनायक
26. श्री महेश पोद्दार
27. श्री सी. एम. रमेश
28. श्री बिकास रंजन
29. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

1.	श्री वी.के. त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायणन	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	सुश्री युगमा मलिक	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए, प्राधिकृत किए जाने पर, वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह 35वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. 25वां प्रतिवेदन 16 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के सभा पटल पर रखा गया। सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण आर्थिक कार्य, व्यय, तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की ओर से आर्थिक कार्य विभाग से 16 जून 2021 को तथा वित्तीय सेवाएं विभाग से 21 जून 2021 को प्राप्त हो गए थे।

3. समिति ने 29 जुलाई, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

5. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2021
7 श्रावण, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन
अध्याय-एक

वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य,व्यय,वित्तीय सेवाएँ और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभागों) की अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में उसके 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा में की गई) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है, जिसे 16 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

2. आर्थिक कार्य,व्यय और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभागों की ओर से की-गई-कार्रवाई टिप्पण 16 जून,2021 को आर्थिक कार्य विभाग से तथा 21 जून,2021 को वित्तीय सेवाएँ विभाग से प्राप्त हो गए थे। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 13 सिफारिशों के बारे में सरकार से की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। इन उत्तरों का विश्लेषण और श्रेणीकरण निम्नवत् रूप से किया गया है-

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
सिफारिश सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 और13

(कुल-12)
(अध्याय-दो)

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती
सिफारिश सं. शून्य

(कुल- शून्य)
(अध्याय-तीन)

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
सिफारिश सं.10

(कुल-01)
(अध्याय-चार)

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
सिफारिश सं. शून्य

(कुल शून्य)
(अध्याय-पाँच)

3. समिति चाहती है कि भविष्य में चारों विभागों के उत्तरों को प्रभावी संवीक्षा के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समेकित तरीके से उपलब्ध कराया जाए। सके अलावा, समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में उत्तर यथाशीघ्र समिति को भेजे जाएं।

4. समिति अब अपनी कुछेक सिफारिशों के संबंध में, सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी और उन पर टिप्पणी देगी।

सिफारिश (क्रम सं. 6)

5. कोविड -19 से पीड़ित इस विश्व अर्थव्यवस्था में, समिति की राय है कि ऋण और वित्तीय गतिशीलता की गहरी और स्पष्ट समझ समय की जरूरत है। ईंधन की कीमतों, ब्याज दरों, कमोडिटी की कीमतों, मुद्रास्फीति की आशंकाओं, राजकोषीय विस्तार आदि जैसे विभिन्न चरों में बहु-परिदृश्य विश्लेषण फैक्टरिंग इस अस्थिर आर्थिक समय में प्रघातों और कमजोरियों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बाजार का रुख बहुत ही सकारात्मक हैं और यह हमारी अर्थव्यवस्था के हित में होगा यदि हम पहले से ही अर्थव्यवस्था के उन विभिन्न भावी संभावनाओं के अनुरूप तैयार हो, जिनका सामना हमें आने वाले समय में करना पड़ सकता है। इसलिए, समिति वित्तीय स्थिति को दक्षतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए, उपलब्ध विभिन्न मॉडलिंग तकनीकों के माध्यम से ऋण और वित्तीय गतिशीलता को समझने की आवश्यकता पर जोर देना चाहेगी। आर्थिक कार्य विभाग को, वित्तीय गतिशीलता पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए और वह यह स्पष्ट करे कि कितनी वित्तीय संभावनाएं सृजित हुई। आर्थिक कार्य विभाग यह भी बताएं कि इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए और इसका जीडीपी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

6. अप**ने** की-गई-कार्रवाई उत्तर में**,** वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित लिखित उत्तर प्रस्तुत किया:

"बजट भाषण 2021-22 के पैरा -140 में माननीय वित्त मंत्री ने निर्दिष्ट किया है कि, " हमें राजकोषीय समेकन के अपने मार्ग के साथ योजना बनाना जारी रखना है, और इस अवधि के दौरान, समुचित रूप से त्वरित गिरावट 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटा स्तर तक पहुँचने की मंशा रखनी है | हमें प्रथम उन्नत अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व के आधिक्य को बढ़ाते हुआ और द्वितीय सरकारी क्षेत्रों उपक्रमों और भूमि सहित आस्तियों के मुद्रीकरण से अभिवृद्ध प्राप्तियों द्वारा समेकन प्राप्त करने की उम्मीद है | इसके आगे, बजट भाषण के पैरा -145 में निम्नलिखित उल्लेख है, उस व्यापक रीति के साथ – साथ केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने की दिशा में, जिसको मैने पहले ही निर्दिष्ट कर दिया है, मैं एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पुनः स्थापित करूंगी |"

भारत सरकार की मौजूदा राजकोषीय स्थिति को स्पष्ट रूप से संसद में बजट दस्तावेजों के साथ रखा गया | माध्यम – अवधि –राजकोषीय –नीति-सह-राजकोषीय नीति- कार्य नीति विवरण |

वित्तीय संसाधनों का उपयोग और इसका जीडीपी वृद्धि पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

(एक) संभावित आकस्मिक स्थगनों और पूंजी प्रवाहों में परिवर्तन के संदर्भ में, भारत में विदेशी क्षेत्र की संवेदनशीलता अन्य घटकों के बीच प्रकट हो सकती है। हालाँकि, भारत के विदेशी ऋण को विवेकपूर्ण ढंग से वर्षों से प्रबंधित किया गया है, सीएडी को लगभग वहनीय स्तरों के आसपास बनाए रखा गया था। सकल घरेलू उत्पाद के लिए विदेशी ऋण, विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक विदेशी ऋण की हिस्सेदारी सहित सभी बाहरी क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक सुविधाजनक हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की पूंजी की पर्याप्तता संतोषजनक से अधिक है, जिसे पर्याप्तता मैट्रिक्स के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार, भारत के विदेशी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्य अपेक्षित सुरक्षा तंत्र के भीतर हैं।

(दो) जैसा कि आर्थिक समीक्षा: 2020-21 में उल्लिखित है, भारत में 17 वर्षों के अंतराल के बाद, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, एक चालू खाता अधिशेष की स्थिति की उम्मीद है। भारत के चालू खाता अधिशेष में पिछली तीन तिमाहियों में अधिशेष दर्ज होने के बाद, तीसरी तिमाही 2020-21 में 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) की मामूली कमी दर्ज की गई। मजबूत एफडीआई और एफपीआई के चलते, निवल विदेशी निवेश 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान, 31.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की ऊंचाई तक गया और आगे 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान, क्रमश: 38.2 बिलियन अमरीकी डॉलर और 44.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2020-21 के दौरान, 80.2 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। विदेशी मुद्रा भंडार जो कि किसी संभावी बाहरी झटकों के विरूद्ध सुरक्षा कवच के रूप में रहा है, 7 मई, 2021 की स्थिति के अनुसार, 589.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक अब तक के सबसे उच्च स्तर तक पहुंच गया था। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, विश्व में अब चौथा सबसे बड़ा भंडार है। ये भंडार 18 माह के आयातों से भी ज्यादा के समतुल्य है।

(तीन) भारत का बाहरी ऋण जीडीपी के अनुपात में सितंबर 2020 के अंत में 21.6 प्रतिशत से दिसंबर 2020 के अंत में 21.4 प्रतिशत तक घट गया। कुल बाहरी ऋण में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात सितंबर 2020 के 97.4 प्रतिशत से दिसंबर 2020 में 104.0 प्रतिशत पर सुधरा। इसके अतिरिक्त, कुल बाहरी ऋण में अल्पकालीक बाहरी ऋण का अनुपात की सितंबर 2020 में 18.5 प्रतिशत से दिसंबर 2020 में 18.4

प्रतिशत तक थोड़ा सुधार। कुल मिलाकर, भारत को बाहरी ऋण इसी प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्थित रहा।

(चार) आने वाले समय में, जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होगी और ऊंचे कंटेनर के दामों में कमी आएगी, भारत के बाहरी क्षेत्र के निष्पादन में चक्रीय वर्धनों से भारत के व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है। चूंकि, पीएलआई स्कीम और विभिन्न अन्य निर्यात अनुकूल उपायों से, हाल ही में परिणाम प्राप्त होने लगे हैं, भारत के बाहरी क्षेत्र निष्पादन को मिलने वाले ढांचागत समर्थकों को भी उन्मुक्त किए जाने की आशा है। अत:, भारत के बाहरी क्षेत्र की संभावनाए आगे बढ़ते हुए सुधार के लिए तत्पर हैं।"

7. **समिति राजकोषीय गतिशीलता को पटरी पर रखने के लिए, किए जा रहे उपायों को नोट करती है लेकिन समिति देश की राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन करने के लिए, ऋण और राजकोषीय गतिशीलता की स्पष्ट समझ के महत्व पर, पर्याप्त जोर नहीं दे सकती क्योंकि कोविड-महामारी के कारण, विकास में हुई गिरावट और राजकोषीय गतिशीलता निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में हमारे ऋण के बोझ को बढ़ा सकती है। समिति द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, सरकार ने केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर देश की राजकोषीय गतिशीलता के संभावित परिदृश्यों की एक श्रृंखला उपलब्ध नहीं कराई है। विभिन्न संभावनाओं के साथ, पहले से तैयार होने से राष्ट्र को बढ़त और लाभ हो सकता है जो संतोषजनक है और इस प्रकार, मॉडलिंग तकनीकों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यदि उचित ऋण और राजकोषीय गतिशीलता लागू होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता और अधिक सुगम हो सकता है।**

सिफारिश (क्रम सं.10)

8. इसके अतिरिक्त, समिति की राय है कि आरबीआई 'बैड बैंक' की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यदि वह एक आदेश या अधिसूचना जारी करके प्रत्येक चरण को परिभाषित करते

हुए, पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, और बैंक की ओर से अस्पष्टता या विवेकाधिकार की गुंजाइश नहीं रखता है। समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि इस स्तर पर एक विनियामक हस्तक्षेप अंततः उसे और अधिक सुचारु बनायेगा और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में और अधिक गति लाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को यह दर्शाना होगा कि एआरसी-एएमसी को हानि के अंतरण के लिए, इसके प्रस्तावित नियम किस प्रकार से वास्तव में सर्वोत्तम है। उसके नियमों में प्रशासनिक स्पष्टता और आर्थिक तार्किकता दोनों होनी चाहिए। वर्तमान में, एनपीए के रूप में किसी परिसंपत्ति को अनलॉक करने के लिए, यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए।

9. अप**ने** की-गई-कार्रवाई उत्तर में**,** वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित लिखित उत्तर प्रस्तुत किया:

"मौजूदा नियामक ढांचे के अंतर्गत, एआरसी-एएमसी फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। कोई नियामक व्यवस्था/छूट अपेक्षित नहीं है। इस सिफारिश पर, आरबीआई से टिप्पणियां मांगी गई थीं। आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बताया:

"सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित संरचना को कुछ सरकारी सहायता के साथ बैंक के नेतृत्व वाली पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है। रिजर्व बैंक के लिए इस तरह के परिचालन और वाणिज्यिक पहलुओं में उद्यम करना वांछनीय नहीं हो सकता है। हालांकि, चूंकि प्रस्तावित इकाई को एआरसी के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है, एआरसीएस के नियामक होने के नाते, रिजर्व बैंक ने पहले से ही एआरसीएस के कामकाज के लिए, एक नियामक ढांचा निर्धारित किया है और बैंक/एनबीएफसीएस द्वारा दबावग्रस्त संपत्तियों को एआरसीएस को अंतरित करने के लिए, सुनिर्धारित मानदंड मौजूद हैं।"

10. समिति नोट करती है कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसीज़) का नियामक होने के नाते, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एआरसी के कार्यकरण का नियामक ढांचा और बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए मानदंडों को एआरसी को निर्धारित किया है। तथापि, समिति, दोबारा यह बताना चाहेगी कि 'बैड बैंक' की सफलता में भारतीय रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा सभी अस्पष्टता को दूर करके और बैंकों के विवेक पर नहीं छोड़ने से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के उद्देश्य को प्राप्त करने में और अधिक गति आएगी। समिति का मानना है आरबीआई को हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रशासनिक स्पष्टता लानी चाहिए, न कि प्रत्येक बैंक को अलग-

अलग मामलों से निपटने के लिए, छोड़ देना चाहिए,जो परेशानी उत्पन्न कर सकता है और वांछित परिणाम की क्षमता कम हो सकती है। समिति का यह मानना है कि प्रत्येक बैंक को एक साइलो में अकेले काम करने के बजाय के लिए, एक समग्र, स्पष्ट और परिभाषित प्रक्रिया बैंकों के लिए प्रक्रिया को सुगम करेगा और इस प्रकार ' बैड बैंक ' प्रभावी ढंग से परिणाम को प्राप्त कर पाएगा जिसके लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। यदि एआरसी प्रक्रिया पर्याप्त थी, तो फिर स्पष्ट रूप से एक ' बैड बैंक ' की कोई आवश्यकता नहीं होती। निश्चित रूप से क्योंकि एआरसी प्रक्रिया सफ़ल नहीं रही, एक ' बैड बैंक ' की सिफारिश की गई है। इसलिए आरबीआई को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ' बैड बैंक ' कई मौजूदा एआरसी से अलग ढंग से कैसे काम करेगा।

सिफारिश (**क्रम सं**.11)

11. समिति समझती है कि बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए लम्बी अवधि की पूंजी की आवश्यकता है और यह अभी भी नवजात अवस्था में है और इसलिए इसके लिए एक समर्पित डीएफआई की आवश्यकता है। समिति को विश्वास है कि संप्रभु समर्थित संस्थान का होना सही रहेगा जो निवेशकों को विश्वास दिलाएगा। साथ ही, इस तरह की संस्था होने से एक सूत्रधार की भूमिका निभाने में, एक बाजार निर्माता बनने में मदद मिलेगी, निवेशक आधार को व्यापक बनाया जा सकेगा और यह बांड बाजार के पोषण और उसे और गहन बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। समिति को सूचित किया गया कि इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे दस गुना तक उधार लिया जा सकता है यानी 2 लाख करोड़ रुपये की ऋण बही जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। आगे यह भी बताया गया कि शुरू में केंद्र सरकार के पास इसका स्वामित्व 100 प्रतिशत तक होगा और इस हिस्से को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए, अधिनियम में एक उपबंध किया जाएगा, यानी निजी डीएफआई के लिए एक लाइसेंसिंग ढांचा प्रदान किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि डीएफआई के लिए निर्धारित 20,000 करोड़ रुपये की राशि बडी है और यह अत्यंत आवश्यक है कि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए क्योंकि इस राशि की अवसर लागत अन्य सामाजिक और विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रम को प्रदान की जा सकने वाली सहायता की दृष्टि से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, समिति चाहती है कि भारत में और विश्व भर में सामने आई अड़चनों और उन पर काबू पाने के लिए, कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए इसे सफल बनाने के लिये बनाई गई कार्यान्वयन योजना का विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र, समिति को प्रस्तुत किया जाये। विशेष रूप से यह कहा गया कि डीएफआई का प्रबंधन पेशेवर की तरह किया जाएगा। समिति यह जानना चाहती है कि कैसे और किन सुरक्षापायों के साथ सरकार की निधि किसी निजि पेशेवर तरीके से प्रबंधित डीएफआई को उपलब्ध करायी जाएगी।

12. अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में**,** वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित लिखित उत्तर प्रस्तुत किया:

"राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक अधिनियम, 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक की स्थापना का प्रावधान है। प्रारंभ में, यह संस्था पूर्णतः केंद्र सरकार के स्वामित्व में होगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में, प्रस्तावित संस्थान में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, केंद्र सरकार, संस्था की स्थापना से पहले वित्तीय वर्ष के अंत तक, नकद या विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संस्था को 5,000 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान या योगदान देगी। नए डीएफआई की स्थापना पर एक श्वेत पत्र **अनुबंध –एक** में संलग्न है।

अधिनियम की धारा 29 में अन्य डीएफआई की स्थापना का प्रावधान है। तथापि, किसी निजी डीएफआई को कोई सरकारी निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नहीं है। अधिनियम की धारा 29 के तहत स्थापित डीएफआई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार होगा और नए डीएफआई से दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी जमा राशि के संबंध में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा, उपरोक्त अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त विकास वित्त संस्थान को लगातार पांच निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आयकर छूट प्रदान करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2021 में अपेक्षित प्रावधान किया गया है, जिसे अगले पांच वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। चूंकि ये डीएफआई अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (नाबार्ड, एक्ज़िम बैंक, सिडबी और एनएचबी) पर लागू आरबीआई की विवेकपूर्ण संरचना के अंतर्गत, काम करेंगे, अत: इन सभी मामलों में आरबीआई की निगरानी रहेगी।"

13. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक पर श्वेत पत्र से पता चलता है कि यह अपनी तरह की पहली संस्था होगी।समिति का मानना है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सेबी की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में क्रोनी पूंजीपतियों द्वारा कब्जा किए जाने के बजाय सार्वजनिक धन का उचित उपयोग सर्वोत्तम परियोजनाओं के लिए किया जाए। इसलिए गैर-सरकारी निदेशकों, बोर्ड अध्यक्ष, एमडी और डीएमडी सभी को बोर्ड के एनआरसी द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। एनआरसी की अध्यक्षता एक बाहरी इक्विटी निवेशक द्वारा की जानी चाहिए जो उनकी वित्तपोषण क्षमता में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रहा हो।

अध्याय – दो

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्रम सं.1)

मांग सं.29 – आर्थिक कार्य विभाग

1. समिति नोट करती है कि आर्थिक कार्य विभाग के लिए समग्र बजट परिव्यय 99549.53 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान जो कि 51658.96 करोड़ रुपए था से 47890.57 करोड़ रुपए अधिक है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान 38645.88 करोड़ रुपए ही रहा। डीईए ने सं.अ. के चरण पर 13013.08 करोड़ रुपए की निधि की कम आवश्यकता का कारण अवसंरचना विकास-अर्थक्षम में कमी के वित्तपोषण के लिए सहायता, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा किए गए स्वर्ण के कुल मूल्य के अनुमान का संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के लिए अभिदाय हेतु निधि की आवश्यकता न होना, राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) के लिए अंतर-लेखा-अंतरण में 11000 करोड़ रुपए की कमी आदि बताया। यह भी बताया कि अधिकांश बचत के कारण मोटे तौर पर कोविड-19 के कारण बजट पश्चात् योजनाओं/स्थितियों पर निर्णय/अंतिम रूप दिया जाना, विनिमय दर में परिवर्तन आदि थी जिनकी कल्पना बजट अनुमान तैयार करते समय नहीं की जा सकी। समिति ने वैश्विक महामारी के दौरान, अर्थव्यवस्था के सम्मुख आई चुनौतियों और उसे पटरी पर लाने के लिए, किए गए उपायों की सराहना करती है परंतु उसका मत है कि बजट अनुमान तैयार करते समय और अधिक ध्यान और वस्तुनिष्ठता से काम किया जाता तो 'योजनाओं को अंतिम रूप न दिया जाना" जैसे कुछ कारकों से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था पर अचानक पड़ने वाले झटके को कम करने और उसके लिए बेहतर ढंग से तैयार रहने के लिए, समय-समय पर भिन्न-भिन्न अनिवार्यताओं को शामिल करने के लिए, पर्याप्त मॉडलिंग की जानी चाहिए। समिति यह इंगित करना चाहेगी कि पिछले वर्षों में राष्ट्रीय निवेश निधि से आहरण द्वारा कमी काफी सीमित रही। इस संबंध में समिति चाहेगी कि सरकार अधिदेश के अनुसार, कायिक निधि का लाभप्रद उपयोग करे अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने वाली चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए निधि से होने वाली वार्षिक आय का 75% उपयोग करे। वार्षिक आय का शेष

25% लाभ में चल रही और दुबारा शुरू की जाने योग्य (सार्वजनिक क्षेत्र की) यूनिटों की पूंजीगत आवश्यकता पूरी करने के लिए, किया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

माननीय समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु नोट कर लिया गया है। यह बताया जाता है कि बजट परिव्यय आमतौर पर इस प्रत्याशा से बनाए जाते हैं कि स्कीमों का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया जाएगा। स्कीम का द्रुत कार्यान्वयन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसेकि, विस्तृत स्कीम कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों को बनाना, कार्यान्वयनकारी अभिकरणों का चयन, निधियों की निर्मुक्ति से पूर्व विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन इत्यादि। कुछेक मामलों में, प्रत्याशित परिणामों की तुलना में सुस्त प्रतिक्रियाओं के परिणामवश, स्कीमों की धीमी शुरुआत हो पाती है।

एनआईएफ के संबंध में, एनआईएफ के सृजन और सामाजिक क्षेत्र की चुनिंदा स्कीमों को वित्तपोषित करने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के संवर्धन के लिए इस प्रकार सृजित आय के 75 प्रतिशत का उपयोग और शेष 25 प्रतिशत का उपयोग सीपीएसई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले और पुनरुज्जीवित हो सकने योग्य उद्यमों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी 27.01.2005 को लिए गए मंत्रिमंडल के निर्णय पर 2013 में मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है।

विनिवेश से प्राप्त धनराशि का आबंटन स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा अवसंरचना के अन्य सेक्टरों जैसे कि रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए किया जा रहा है। अवसंरचना सेक्टर में निवेश करने से न सिर्फ पूंजीगत आस्तियों का सृजन सुसाध्य होता है अपितु रोजगार सृजन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

एनआईएफ में से 2019-20 से किए गए आबंटन का विवरण निम्नवत हैः

(रुपये करोड़ में)

एनआईएफ में से आबंटन/उपयोग	वास्तविक राशि (अनंतिम) 2019-20		सं.अ. 2020-21 आबंटन	ब.अ. 2021-22 आबंटन
	विनिवेश प्राप्तियां	आबंटन		
कुल	50304.33	67969.38	32000	100000

*[*वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) फा.सं. *5/1/*2021-आईएफ*,* दिनांक 1 4 जून 2021*]*

सिफारिश (क्रम सं.2)

वर्ष 2021-22 के लिए 99549.53 के आबंटन के संबंध में समिति को बताया गया कि वृद्धि का मुख्य कारण 'अवसंरचना पाइपलाइन के लिए सहायता' शीर्ष के अंतर्गत, 44714.64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना था जो उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों और विभागों के लिए थी जो पूंजी व्यय में अच्छी प्रगति को दर्शा रहे हैं और उन्हें अधिक निधि की आवश्यकता है और सीएफआई की कायिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किए जाने के लिए, 'भारत की आकास्मिक निधि में विनियोग' के लिए अंतर-लेखा-अंतरण हेतु 29,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किय गया। अन्य वर्धित मांगे निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक को ब्याज समानीकरण सहायता हेतु संदाय को पूरा करने के लिए, एनआईआईएफ के लिए 4500 करोड़ रुपए की वृद्धि, उधार की नई व्यवस्था (एनएबी) के अधीन आईएमएफ को के ऋण आदि के लिए थी। समिति इस बात पर बल देना चाहेगी कि आर्थिक कार्य विभाग को एक आदर्श की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और वास्तविकतापूर्ण अनुमान तैयार करने और स्वीकृत निधि के अनुकूलतम उपयोग करने में अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। विभाग पर अर्थव्यवस्था को वित्तीय स्थिरता के मार्ग पर बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता की भारी जिम्मेदारी भी है इसलिए इसे निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अवसंरचना पाइपलाइन (₹44714.64 करोड़) हेतु सहायता के लिए बड़ा बजट प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के अंतर्गत, किया गया है जिसका उपयोग उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों के लिए किया जाएगा जो पूंजीगत व्यय पर अच्छी प्रगति दिखाते हैं। दूसरे, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के अंतर्गत, एक अन्य बड़ा बजट प्रावधान भारत की आकस्मिकता निधि (₹29500.00 करोड़) के विनियोग के लिए भी किया गया है।

2. इसके अलावा, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) (₹4500.00 करोड़) तथा एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आईईएस) के संबंध में, ब.अ. (2021-22) का वृद्धित प्रावधान, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) तथा एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, स्वीकृत निधियों अर्थात क्रमश: 99.99 प्रतिशत और 100 प्रतिशत

के इष्टतम उपयोग के आधार पर किया गया है। साथ ही साथ, कुछ बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए प्रावधान किया जाता है जहां विनिमय दर में उतार-चढ़ावों को भी ध्यान में रखा जाता है।

3. विभाग का सदैव यह प्रयास रहता है कि यथार्थवादी बजट प्रावधान तैयार किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बजट प्रावधानों का इष्टतम उपयोग हो। बजट-पश्चात निर्णयों, परियोजनाओं/स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आदि की वजह से प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ है। माननीय समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु नोट कर लिया गया है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे कि आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के अंतर्गत, बजट प्रावधानों को यथार्थवादी अनुमानों के आधार पर बनाया जाए।

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) फा.सं. 5/1/2021-आईएफ, दिनांक 1 4 जून 2021]

सिफारिश (क्रम सं.3)

मांग सं.31 – वित्तीय सेवाएं विभाग

3. समिति पाती है कि वित्तीय सेवाएं विभाग का वर्ष 2020-21 का संशोधित अनुमान 29075.02 करोड़ हुआ था जो रुपए के आरंभिक बजट आवंटन की तुलना में 22755.56 करोड़ रुपए बढ़कर 51830.58 करोड़ रुपए हो गया। समिति को इस वृद्धि के कारणों से अवगत कराया गया, जिनमें से कुछ कारणों में बैंकों का पूंजीकरण एमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के माध्यम से, एमएसएमई को सहायता आंशिक ऋण गारंटी स्कीम के माध्यम से एनबीएफसी को तरलता प्रदान करना, ऋण लेने वालों के ऋण स्थगन पर ब्याज में राहत प्रदान करना, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए पूंजी की व्यवस्था आदि थीं। समिति का मत था कि वर्ष 2020-21 के लिए 51830.58 करोड़ के वर्धित संशोधित अनुमान और 51510.81 करोड़ रुपए का बजट अनुमान 2021-22 अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और इसे भावी उतार-चढ़ाव के प्रति और अधिक लचीला बनाने के लिए, महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के महत्वपूर्ण क्षेत्र को निरंतर सहायता के लिए पर्याप्त प्रावधान करने से, आने वाले समय में रोजगार और आय के सृजन दोनों के द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था को मदद मिल सकती है। अतः समिति का मत है कि ईसीएलजीएस को और अधिक निधि उपलब्ध कराना सही दिशा में उठाया गया कदम होगा क्योंकि ईसीएलजीएस ने इस वैश्विक महामारी के कठिन दौर के दौरान, एमएसएमई की सहायता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र के लिए औपचारिक ऋण की सहज पहुंच और उसे शोध्य राशि का तुरंत भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

i. आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरूआत मई 2020 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए, आपातकालीन उपायों के रूप में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों, व्यवसायिक उद्यमों और लोगों को व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार, उनके बकाया ऋण के

20% तक, जो अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक हो सकता है, संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है बशर्ते कि उक्त ऋण दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार, 60 दिनों अथवा उससे कम दिनों से बकाया हो। इस अतिरिक्त ऋण को ऋण गारंटी के द्वारा पूर्णत: कवर किया जाता है, जो राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लि. (एनसीजीटीसी) के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाती है। ईसीएलजीएस के अंतर्गत, प्रदान किए गए ऋणों की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर 12 माह का अधिस्थगन प्रदान किया गया है। इस योजना का विस्तार कामथ समिति और हेल्थकेयर सेक्टर द्वारा अभिचिह्नित 20 क्षेत्रों के लिए ईसीएलजीएस के माध्यम से किया गया था। दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार, 50 करोड़ से अधिक और 500 करोड़ रुपए से कम बकाया ऋण वाली ऋण की इकाइयों को ईसीएलजीएस 2.0 के अंतर्गत, पात्र बनाया गया बशर्ते कि दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार, उक्त खाते में राशि 60 दिनों अथवा इससे कम दिनों से बकाया हो।

ii. सरकार ने आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल क्षेत्रों के व्यवसायिक उद्यमों, जिनकी कुल बकाया राशि दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार, 500 करोड़ रुपए से अधिक न हो और जो दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार, 60 दिनों अथवा इससे कम दिनों से बकाया हो, को कवर करने के लिए, ईसीएलजीएस 3.0 आरंभ करके दिनांक 31.3.2021 को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के दायरे को बढ़ाया है। ईसीएलजीएस 3.0 में इन क्षेत्रों के उद्यमों के लिए दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार, सभी ऋणदात्री संस्थाओं के कुल बकाया ऋण के 40% तक ऋण दिए जाने को शामिल किया जाएगा। ईसीएलजीएस के अंतर्गत, प्रदत्त ऋणों की अवधि की 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित 6 वर्ष होगी।

iii. इसके अतिरिक्त, कतिपय सेवा क्षेत्रों पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के आलोक में इस योजना में कुछ अन्य संशोधन किए गए हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋणदाताओं को अनुमत ईसीएलजीएस 1.0 के अंतर्गत, ऋणों के लिए 1 वर्ष तक की अधिस्थगन अवधि में वृद्धि, जहां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मानदण्डों के अनुसार, पुनर्गठन स्वीकार्य है, आरबीआई की एकमुश्त पुनर्गठन सुविधा प्राप्त करने वाले ईसीएलजीएस 1.0 उधारकर्ताओं को अतिरिक्त 10% का ऋण, ईसीएलजीएस 3.0 में विमानन क्षेत्र का समावेशन और प्रत्येक मामले में 200 करोड़ के कैप वाले अधिकतम गारंटी के अध्यधीन ईसीएलजीएस 3.0 के लिए बकाया ऋण के 500 करोड़ रुपए के कैप को हटाया जाना शामिल है तथा नए आक्सीजन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ईसीएलजीएस के तहत 100% गारंटी की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, ईसीएलजीएस, अर्थात ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0 की वैधता को दिनांक 30.9.2021 तक अथवा 3 लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए गारंटी तक जारी किया गया है। इस योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ाया गया है।

iv. राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 11.6.2021 की स्थिति के अनुसार, 2.68 लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि को योजना के तहत मंजूरी दी गई है।

v. ईसीएलजीएस के लिए 41,600 करोड़ रुपए के कार्पस को चार हिस्सों में दिए जाने के लिए, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। गया दिया में 21-2020 वर्ष वित्तीय जिसे राशि की रुपए करोड़ 4000 था, जारी की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए

की राशि एमएसएमई मंत्रालय के बजट में उपलब्ध कराई है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत, वित्तीय सेवाएं विभाग व्यवस्थापक बना रहेगा।

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) फा.सं. 711/2021-पार्ल दिनांक 21 जून 2021]

सिफारिश (क्रम सं.4)

समिति यह नोट करती है कि वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत, कई योजनाएं हैं जिनमें पिछले वर्ष और उससे पहले भी बचत हुई थी इसके बावजूद वर्तमान वर्ष के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि यद्यपि वह रकम छोटी थी, फिर भी वित्तीय सेवाएं विभाग को चाहिए कि वह इन योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेन्सियों को बजट की राशि की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए, एकत्रित करे जैसा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) जो पात्र माइक्रो यूनिटों को 10 लाख तक का ऋण देती है, स्वसहायता समूह (एसएचजी) को समपार्श्विक मुक्त ऋण देती है; प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत, ओवर ड्राफ्ट ऋण देती है; स्टेण्ड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए, क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, आदि का न केवल वित्तीय समावेशन तथा संधारणीय विचारों की दृष्टि से अपितु समाज के सशक्तीकरण, उत्थान और बेहतरी के लिए भी अत्यधिक महत्व है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

(i) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई): प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कोई बजट आबंटित नहीं किया जाता है। तथापि, पीएमजेडीवाई खाताधारकों में से पात्र लाभार्थी ऋण के रूप में 10000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के पात्र हैं। शिशु मुद्रा ऋण के तहत 10000 रुपए की यह राशि ओडी की अर्हक होती है और सूक्ष्म इकाइयों के

लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के तहत गारंटी कवरेज के लिए पात्र होती है।

(ii) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई): मुद्रा लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, उन्होंने 'हर काम देश के नाम' टैगलाइन से मार्च 2020 से प्रचार अभियान की प्रक्रिया का शुभारंभ किया था और साथ ही पीएमएमवाई के 5 वर्ष पूरा होने पर पीएमएमवाई वर्षगांठ समारोह के बारे में प्रचार करने की योजना बनाई थी इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने सहायता अनुदान के रूप में मुद्रा लि. को 10 करोड़ रुपए (23 अक्तूबर, **2019, 3** मार्च, **2020** और 30 मार्च, **2020** को क्रमश: 3.30 करोड़ रुपए, **2.50** करोड़ रुपए और 4.20 करोड़ रुपए) की राशि जारी की है।

तथापि, समस्त देश में कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण यह अभियान शुरू नहीं हो सका तथा 10 करोड़ रुपए की राशि मुद्रा लि. के पास अप्रयुक्त है। मुद्रा लि. द्वारा इसमें से 3.83 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग क्रिएटिव एजेंसी द्वारा 13 भाषाओं में 10 उधारकर्ताओं के संक्षिप्त विडियो बनाने के लिए, मार्च 2021 में किया गया है। तब से 6.17 करोड़ रुपए की राशि अप्रयुक्त निधि के रूप में मुद्रा लि. के पास उपलब्ध था और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपए की आबंटित की गई बजट राशि को लौटा दिया (सरेंडर) गया था। मुद्रा लि. को समय-समय पर योजना के लिए प्रचार और जागरूकता अभियान को संचालित करने के लिए, इन निधियों के प्रयोग करने के लिए, भी सुझाव दिया जा रहा है/अनुरोध किया जा रहा है।

(iii) स्टैण्ड-अप इंडिया (एसयूपीआई) – वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किए गए 5.00 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान को सिडबी (वित्तीय वर्ष

2019-20 में किए गए 5.00 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन में से) के पास खर्च न किए गए पर्याप्त निधियों के कारण मार्च 2021 के महीने में वापस कर दिया गया था। सिडबी ने सूचित किया है कि दिनांक 25.5.2021 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सहायता अनुदान की 5.00 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है। अब, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सिडबी को किए गए बजटीय आबंटन में से 5.00 करोड़ रुपए को जारी किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(iv) सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) कार्पस

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को जनवरी 2010 में बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई)/अन्य वित्तीय मध्यस्थों के द्वारा 10 लाख रुपए तक के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत पात्र सूक्ष्म इकाइयों को विस्तारित ऋण गारंटी प्रदान करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए 5000 रुपए (सितम्बर 2018 में बढ़ाकर **10,000** किए गए) की राशि के ओवरड्राफ्ट को गारंटी देने के लिए, **3,000** करोड़ रुपए के आरंभिक कार्पस के साथ स्थापित किया गया था।
- सीजीएफएमयू को राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लि. (एनसीजीटीसी) द्वारा संचालित किया जाता है जो पूर्णत: भारत सरकार के स्वामित्व में है। श्री यू. के. सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर आरबीआई द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट समिति की सिफारिशों और 26 मार्च, **2020** को माननीय वित्त मंत्री (एफएम) के 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के एसएचजी को संपार्श्विकमुक्त उधार में वृद्धि के संबंध में घोषणा के आधार पर सीजीएफएमयू की

प्रबंधन समिति ने अपने द्वारा प्रदान किए गए गारंटी कवरेज में कतिपय बदलाव किए। इन परिवर्तनों के आलोक में एनसीजीटीसी निधियों के कार्पस बैलेंस के बारे में अनुमान लगाए हैं और सीजीएफएमयू के कार्पस में वृद्धि की मांग की है।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संपार्श्विकमुक्त ऋण में वृद्धि के संबंध में यू. के. सिन्हा समिति की सिफारिशों और 26 मार्च, **2020** को माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के आलोक में सीजीएफएमयू में तत्पश्चात निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:
- पीएमएमवाई ऋण और पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट के लिए:
  - प्रथम हानि में कमी का वहन एमएलआई द्वारा क्रिस्टलाइज्ड पोर्टफोलियो के 5% से चूक राशि के 3% तक, से किया जाएगा।
  - दूसरी हानि गारंटी कवर को चूक राशि के 50% से बढ़ाकर पोर्टफोलियो का 75% करना।
  - गारंटी राशि पर संपूर्ण ऊपरी सीमा को क्रिस्टलाइज्ड पोर्टफोलियो के 15% रखना।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच स्वीकृत ऋण और इसके पश्चात सीजीएफएमयू के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे। तथापि, पहली हानि की गारंटी शून्य होगी और दूसरी हानि के 75% की गारंटी होगी।
- आकांक्षी जिलों में सूक्ष्म इकाइयों के लिए गारंटी शुल्क वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के पोर्टफोलियो पर प्राप्त किए गए गारंटियों के लिए 0.5% प्रति वर्ष (प्रथम वर्ष के लिए यथानुपात पर) का निम्न शुल्क प्रभारित किया जाएगा। इसकी समीक्षा दो वर्षों के अंत में की जाएगी।

उपर्युक्त संशोधनों (दिनांक 1.4.2020 के बाद, स्वीकृत किए गए ऋणों के लिए प्रयोज्य है) के फलस्वरूप निधि कार्पस से दावा निर्गम में वृद्धि होगी।

- सीजीएफएमयू के कार्पस के लिए निधियों का प्रावधान करने से यह पीएमएवाई के पात्र संपार्श्विक मुक्त सूक्ष्म ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी, पीएमजेडीवाई के खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट तथा एसएचजी को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर सकेगा। यह बैंकों/एनबीएफसी/एमएफआई को अल्पसेवित तथा असेवित क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए, उपर्युक्त ऋण की पहुँच तथा उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार, यह आशा है कि पीएमऐवाई के अंतर्गत, संपार्श्विक मुक्त सूक्ष्म ऋण, पीएमजेडीवाई खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट तथा एसएचजी को 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत होगा, जिसमें समय के साथ वृद्धि होगी।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि,

(i) वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 18-19 तक के पोर्टफोलियो की एनपीए स्थिति को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है,

(ii) सीजीएफएमयू में किए गए संशोधनों से अधिकाधिक एमएलआई द्वारा सीजीएफएमयू का लाभ उठाने की उम्मीद है, और

(iii) बेहतर क्रेडिट गारंटी कवर और आरबीआई और सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के कारण पीएमएमवाई के तहत उधार देने में अपेक्षित सुधार,

भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, एनसीजीटीसी को सीजीएफएमयू के लिए 3000 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि किस्तों में जारी की गई है, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

अवधि	संवितरित निधि (करोड़ रुपये में)
मार्च, 2016	500
अगस्त, 2016	1,500
जुलाई, 2017	500
जुलाई, 2018	300
अगस्त, 2018	200
कुल	**3,000**

वर्ष 2024 तक सीजीएफएमयू के कोष को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए, ईएफसी बैठक आयोजित करने हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के ज्ञापन के साथ एक प्रस्ताव दिनांक 21.1.2021 को व्यय विभाग (डीओई) को भेजा गया था। लेकिन, ईएफसी की बैठक नहीं हो सकी। चूँकि प्रस्ताव का ईएफसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना है और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है, 500 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020-21 में किए गए बजटीय प्रावधान) को वित्त वर्ष 2020-21 में सीजीएफएमयू कॉर्पस के संवर्धन के लिए जारी नहीं किया जा सका।

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) फा.सं. 711/2021-पार्ल दिनांक 21 जून 2021]

सिफारिश (क्रम सं.5)

<u>ब्याज का भुगतान और सरकारी ऋण</u>

समिति यह पाती है कि ब्याज के भुगतान (निवल आधार पर) में बजट अनुमान में 101498.16 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जो बजट अनुमान (2020-21) में 708203.16 करोड़ रुपए से बढ़कर ब. अ. (2021-22) में 809701.32 करोड़ रुपये हुई अर्थात इसमें 14.33% की वृद्धि हुई है। समिति को बताया गया कि कोविड -19 महामारी के आलोक में उधार की बढ़ती मात्रा और सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करने के कारण, अधिक प्रावधान किया गया है। समिति यह समझती है कि ये असाधारण उपाय असाधारण समय की मांग हैं, लेकिन ब्याज के भुगतान पर रोक लगाने और अर्थव्यवस्था को वित्तीय स्थिरता के पथ पर बनाए रखने और निजी निवेश की अतिरेकता से बचने के लिए, जल्द से जल्द ठोस वैकल्पिक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

विभाग ने समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखा है। राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की प्रस्तावना में निहित है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार को यह आदेश देती है, "... राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप मौद्रिक नीति और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घावधिक वृहद आर्थिक सहायता में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी को सुनिश्चित करना... "

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) फा.सं. 9(1)-ब(डब्लू&एम)/2021, दिनांक 21 मई 2021]

सिफारिश (क्रम सं.6)

<u>ऋण और वित्तीय गतिकी</u>

इस कोविड -19 से पीड़ित विश्व अर्थव्यवस्था में समिति की राय है कि ऋण और वित्तीय गतिकी की गहरी और स्पष्ट समझ समय की जरूरत है। ईंधन की कीमतों, ब्याज दरों, कमोडिटी की कीमतों, मुद्रास्फीति की आशंकाओं, राजकोषीय विस्तार आदि जैसे विभिन्न चरों में बहु-परिदृश्य विश्लेषण फैक्टरिंग इस अस्थिर आर्थिक समय में प्रघातों और कमजोरियों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बाजार का रुख बहुत ही सकारात्मक हैं और यह हमारी अर्थव्यवस्था के हित में होगा यदि हम पहले से ही अर्थव्यवस्था की उन विभिन्न भावी संभावनाओं के अनुरूप तैयार हो, जिनका सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। इसलिए, समिति वित्तीय स्थिति को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए, उपलब्ध विभिन्न मॉडलिंग तकनीकों के माध्यम से ऋण और वित्तीय गतिशीलता को समझने की आवश्यकता पर जोर देना चाहेगी।

आर्थिक कार्य विभाग वित्तीय गतिशीलता पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करे और यह स्पष्ट करे कि कितनी वित्तीय संभावनाएं सृजित हुई। आर्थिक कार्य विभाग यह भी बताएं कि इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए और इसका जीडीपी वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

सरकार का उत्तर

बजट भाषण 2021-22 के पैरा -140 में माननीय वित्त मंत्री ने निर्दिष्ट किया है कि, " हमें राजकोषीय समेकन के अपने मार्ग के साथ योजना बनाना जारी रखना है, और इस अवधि के दौरान, समुचित रूप से त्वरित गिरावट 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटा स्तर तक पहुँचने की मंशा रखनी है | हमें प्रथम संवर्धित अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व के आधिक्य को बढ़ाते हुआ और द्वितीय सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों और भूमि सहित आस्तियों के मुद्रीकरण से अभिवृद्ध प्राप्तियों द्वारा समेकन प्राप्त करने की उम्मीद है | इसके अतिरिक्त बजट भाषण के पैरा -145 में निम्नलिखित उल्लेख है, उस व्यापक रीति के साथ – साथ केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने की दिशा में जिसको मैने पहले ही निर्दिष्ट कर दिया है, मै एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पुनः स्थापित करूंगी |"

भारत सरकार की मौजूदा राजकोषीय स्थिति को स्पष्ट रूप से संसद में बजट दस्तावेजों के साथ रखा गया | माध्यम – अवधि –राजकोषीय –नीति-सह-राजकोषीय नीति- कार्य नीति विवरण |

वित्तीय संसाधनों का उपयोग और इसका जीडीपी वृद्धि पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

(i) संभावित आकस्मिक स्थगनों और पूंजी प्रवाहों में परिवर्तन के संदर्भ में, भारत में विदेशी क्षेत्र की संवेदनशीलता अन्य घटकों के बीच प्रकट हो सकती है। हालाँकि, भारत के विदेशी ऋण को विवेकपूर्ण ढंग से वर्षों से प्रबंधित किया गया है, सीएडी को लगभग वहनीय स्तरों के आसपास बनाए रखा गया था। सकल घरेलू उत्पाद के लिए विदेशी ऋण, विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक विदेशी ऋण की हिस्सेदारी सहित सभी बाहरी क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक सुविधाजनक हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की पूंजी की पर्याप्तता संतोषजनक से अधिक है, जिसे पर्याप्तता मैट्रिक्स के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार, भारत के विदेशी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्य अपेक्षित सुरक्षा तंत्र के भीतर हैं।

(ii) जैसा कि आर्थिक समीक्षा: 2020-21 में उल्लिखित है, भारत में 17 वर्षों के अंतराल के बाद, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, एक चालू खाता अधिशेष की स्थिति की उम्मीद है। भारत के चालू खाता अधिशेष में पिछली तीन तिमाहियों में अधिशेष दर्ज होने के बाद, तीसरी तिमाही 2020-21 में 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) की मामूली कमी दर्ज की गई। मजबूत एफडीआई और एफपीआई के

चलते, निवल विदेशी निवेश 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान, 31.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की ऊंचाई तक गया और आगे 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान, क्रमश: 38.2 बिलियन अमरीकी डॉलर और 44.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2020-21 के दौरान, 80.2 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। विदेशी मुद्रा भंडार जो कि किसी संभावी बाहरी झटकों के विरूद्ध सुरक्षा कवच के रूप में रहा है, 7 मई, 2021 की स्थिति के अनुसार, 589.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक अब तक के सबसे उच्च स्तर तक पहुंच गया था। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व में अब चौथा सबसे बड़ा भंडार है। ये भंडार 18 माह के आयातों से भी ज्यादा के समतुल्य है।

(iii) भारत का बाहरी ऋण जीडीपी के अनुपात में सितंबर 2020 के अंत में 21.6 प्रतिशत से दिसंबर 2020 के अंत में 21.4 प्रतिशत तक घट गया। कुल बाहरी ऋण में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात सितंबर 2020 के 97.4 प्रतिशत से दिसंबर 2020 में 104.0 प्रतिशत पर सुधरा। इसके अतिरिक्त, कुल बाहरी ऋण में अल्पावधिक बाहरी ऋण का अनुपात की सितंबर 2020 में 18.5 प्रतिशत से दिसंबर 2020 में 18.4 प्रतिशत तक थोड़ा सुधार। कुल मिलाकर, भारत को बाहरी ऋण इसी प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से व्यवस्थित रहा।

(iv) आने वाले समय में जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होगी और ऊंचे कंटेनर के दामों में कमी आएगी, भारत के बाहरी क्षेत्र के निष्पादन में चक्रीय वर्धनों से भारत के व्यापार में तेजी आने की उम्मीद है। चूंकि, पीएलआई स्कीम और विभिन्न अन्य निर्यात अनुकूल उपायों से, हाल में परिणाम प्राप्त होने लगे हैं, भारत के बाहरी क्षेत्र निष्पादन को मिलने वाले ढांचागत समर्थकों को भी उन्मुक्त किए जाने की आशा है। अत:, भारत के बाहरी क्षेत्र की संभावनाए आगे बढ़ते हुए सुधार के लिए तत्पर हैं।

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) फा.सं.9(1)-बी(डब्लूएंडएम)/2021, दिनांक 21 मई 2021 और फ.सं.7(1)/आर्थिक प्रभाग /2021 दिनांक 27 मई 2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया देखिए अध्याय एक का पैरा संख्या 7)

सिफारिश (क्रम सं.7)

विनिवेश

7. समिति ने बजट 2021-22 में घोषित नई पीएसई नीति को नोट किया जिसमें सभी गैर-रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए रोडमैप रेखांकित किया। यह वर्ष 2021-22 के लिए 175000 करोड़ रुपये के प्रक्षिप्त विनिवेश प्राप्तियों को भी नोट करती है, बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश को वित्त वर्ष 2021-22 में पूरा करने की योजना है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) और 2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण और अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के लिए कंपनी के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन के निर्माण की परिकल्पना की गई।। समिति इस बात से चिंतित है कि विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करना बजट के लिए महत्वपूर्ण है और अनुमानों से चूकने से वित्तीय गतिशीलता में मात्रात्मक परिवर्तन हो सकता है। समिति को सूचित किया गया कि डीआईपीएएम गैर-मुख्य परिसंपत्तियों जैसे भूमि और कोर परिसंपत्तियों के विनिवेश के कार्य से संबंधित है, जिसे संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से निपटाया जाता है। समिति का मत है कि डीआईपीएएम में विनिवेश प्रक्रिया में, विशेष रूप से रणनीतिक विनिवेश के दौरान, आस्तियों की बिक्री जैसे वाणिज्यिक निर्णय लेने के लिए, पर्याप्त प्रशासनिक लचीलापन होना चाहिए। अत:, समिति चाहती है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लायी जाए ताकि विनिवेश के लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त किया जा सके।

सरकार का उत्तर

लेन-देन को संपन्न करने और लक्ष्य हासिल करने के लिए, सभी प्रयास किए जाएंगे। बाजार परिस्थितयों और निवेशक की अभिरूचि के आधार पर लेन-देन सम्पन्न किए जाएंगे। सफलतापूर्वक लेनदेन से बजट अनुमान लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिलेगी।

सरकार समिति की इस बात से पूर्णतः सहमत है कि रणनीतिक विनिवेश के सौदों को समयबद्ध रूप से संपंन्न करने के लिए, पर्याप्त प्रशासनिक लचीलापन अपेक्षित होता है। रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया 12 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद, पुनः शुरू की गई है। विगत (1999-2004) अनुभव के आधार पर प्रक्रिया वर्ष 2016 में आरम्भ की गई थी। तथापि, उस समय देश की प्रचलित सामाजिक – आर्थिक परिस्थितियों और प्रासंगिक विधिक प्रवधानों में काफी परिवर्तन हुआ है। इसलिए, रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया विभिन्न सौदों की प्रगति के माध्यम से प्राप्त सीख के साथ विकसित हो रही है। सीपीएसईस के निजीकरण के वाणिज्यिक सौदों के निष्पादन में हिस्सेदारों से परामर्श के माध्यम से प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाने रखने की आवश्यकता और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, पर्याप्त लचीलापन बनाए

रखने की वांछनीयता को संतुलित बनाए रखना और प्राक्रिया में बोलीदाताओं की अभिरूचि को सुनिश्चित करना अपेक्षित है। समिति को पहले ही यह प्रस्तुत किया जा चुका था कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने वाला एक त्रिस्तरीय अंतरमंत्रालयी तंत्र गठित कर लिया गया है जिसमें वैकल्पिक तंत्र (शीर्षस्थ स्तर), मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में विनिवेश संबंधी सचिवों का प्रमुख दल और अंतर मंत्रालय समूह (सचिव स्तर पर) शामिल है। इसके अलावा, सौदो की प्रगति के दौरान, प्राप्त अनुभव के आधार पर अपेक्षित प्रशासनिक लचीलेपन के सृजन के लिए और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, प्रक्रिया में समय-समय पर संशोंधन किए जा रहे है। उदाहरण के लिए, सीसीईए से कुछ शक्तियों और कार्यों के संबंध में समय-समय पर अगस्त 2017 में, मार्च, 2018 में और मार्च, 2019 में मंत्रियों के समूह में (वैकल्पिक तंत्र(के पक्ष में प्रत्यायोजन लिया गया है। इसी प्रकार, रणनितिक विनिवेश की क्रियाविधि को सीसीईए के अनुमोदन के साथ अक्टूबर 2019 में संशोधित किया गया था ताकि इसे तीव्र और परिणामोन्मुखी बनाया जा सके जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशकों के साथ सामान्य प्रचार-प्रसार आयोजित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, सौदा विशिष्ट मुददों के लिए सचिव डीआईपीएएम के पक्ष में विशिष्ट प्रत्यायोजन लिए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ परामर्श करके, एक व्यापक सुरक्षा निर्मुक्ति तंत्र तैयार किया गया है। रणनीतिक क्रियाविधि में संशोधन करना एक सतत प्राक्रिया है जो सीख पर आधारित है।

<u>परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण</u> : दिनांक 28 फरवरी 2019 को आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उधमों)सीपीएसईस(सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो)पीएसयू) अन्य सरकारी संगठनो और शत्रु अचल संपत्तियों के परिसंपत्ति मुदीकरण के लिए क्रियाविधि और तंत्र का अनुमोदन किया था। मंत्रिमंडल दवारा अनुमोदित संस्थागत तंत्र के दायरे में रणनीतिक विनिवेश के अधीन, सीपीएसईएस की अभिज्ञात गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों, शत्रु संपत्ति अभिरक्षक की अभिरक्षा (सीईपीआई) गृह मंत्रालय के अधीन, शत्रु अचल संपत्ति, अन्य सीपीएसईएस/पीएसयूज अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्तियों और बन्दीकरण के अधीन रूग्ण/ घाटे में चलने वाली सीपीएसईस की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण शामिल है। वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) देश के आर्थिक विकास के लिए संशाधनो में वृद्धि करने हेतु गैर-महत्वपूर्ण सरप्लस परिसंपत्ति का मूल्य निर्मुक्त करने के लिए, गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों (भूमि तथा संपदा संबंधी परिसंपत्तियों) के मुद्रीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत है। मुद्रीकरण के मॉडल को परिसंपत्तियों से संबंधित उचित उद्यमिता के बाद, अंतरमंत्रालयर समूह की सिफारिशों के आधार पर, वैकल्पिक तंत्र दवारा अनुमोदित किया गया है।

दीपम ने हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए विश्व वैंक के साथ सहयोग संबंधी समझौता किया है जिससे अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सर्वोत्तम परिपाटियों की समझ के आधार पर, संस्थागत क्षमता, संचालानात्मक ढॉचे और गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की नीतियों के सुदृढ़ होने की प्रत्याशा है। इस दिशा में, विश्व बैंक के अधिकारियों ने भूमि तथा संपत्ति के प्रबंधन और मुद्रीकरण में अपने अनुभव, नीतियों, प्राक्रियाओं के विश्लेषण, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक तंत्र के संबंध में अनेक मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेन्सियों सहित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है। इस दिशा में सचिव दीपम के अनुमोदन के साथ एक कार्यबल का गठन भी किया गया है ताकि महत्वपूर्ण राष्ट्र संबंधी मुददों पर चर्चा की जा सके और राज्य सरकारों के सन्निकट समन्वय के साथ सीपीएसई की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक व्यापक सस्थागत और नीतिगत ढॉचा विकसित करने के लिए, दीपम की सहायता करने के लिए, समय-समय पर सुझाव दिए जा सके।

एक विशेष प्रयोजन कंपनी गठित करने के ढांचे पर इस समय काम चल रहा है। वैश्विक मॉडलों तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ-साथ देश में प्रयुक्त मॉडलों पर विचार किया जा रहा है। दीपम दवारा तैयार की गई मसौदा संरचना पर चर्चा करने के लिए, विश्व बैंक परियोजना के अधीन गठित कार्यबल के सदस्यों की एक बैठक दिनांक 22 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए, कि विशेष प्रयोजन कंपनी दक्षतापूर्वक संचालन के लिए सक्षम है और स्वतः स्थायी संस्थान हो कार्यबल के सदस्यों से प्राप्त सुझाओं पर कार्यवाई की जाएगी।

[वित्त मंत्रालय (निवेश और लोक परिसंपति विभाग) फा.सं. 3/1/2008-डी.डी.II(खण्डIV), दिनांक 5 मई 2021]

सिफारिश (क्रम सं.8)

समिति नोट करती है कि कुछ संस्थाओं की विनिवेश प्रक्रिया में आमतौर पर बहुत लम्बा समय लगता है चाहे वे चौथे पुनरावृत्ति के दौर से चल रहे हो। समिति की राय है कि परिसमापन कब किया जाए और उसका तरीका क्या हो के बारे में विस्तार से बताते हुए, दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। समिति की इच्छा है कि विनिवेश अधिक विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी हो और वह यह महसूस करती है कि एक स्थायी विनिवेश नीति होनी चाहिये जो स्पष्ट रूप से बेंचमार्क को निर्दिष्ट करती हो और सर्वोत्तम वैश्विक विनिवेश मॉडल अपनाती हो।

सरकार का उत्तर

रणनीतिक विनिवेश लेन-देन प्रकृति में अत्यन्त जटिल है। क्षेत्रीय चिन्ताओं, व्यवसाय मॉडल, इकाइयों के स्थान, कर्मचारी प्रोफाइल,एफडीआई निहितार्थ आदि को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक लेन-देन की अपनी विशिष्टता और स्वयं की जटिलताएं होगी। मामला दर मामला आधार पर, आवश्यक लचीलेपन के साथ सभी मामलों में एक समान मानक प्राक्रिया का समान रूप से पालन किया जा रहा है, लेकिन सभी मामलों के लिए एक एकल मानक बैंचमार्क स्थापित करना संभव नही है क्योंकि "एक आकार सभी पर फिट बैठता है" उपयुक्त नही हो सकता है। सामन्य तौर पर, रणनीतिक विनिवेश की प्राक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्ष प्राक्रिया, प्रतिस्पर्धा को बढ़वा देना और उच्चतम स्तर की अखंडता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के सिद्धान्तों दवारा निर्देशित होती है। सीपीएसईस के विनिवेश के लिए प्रक्रिया और सरकार की शक्ति बाल्को (2001) के मामले में माननीय सर्वोत्तम न्यायालय दवारा और बीपीसीएल (2020) के मामले में माननीय बॉम्बें उच्च न्यायालय दवारा बरकरार रखा गई है।

विभिन्न देशों दवारा उनकी प्राथमिकताओं, उददेश्यों और नियामक तंत्र के आधार पर विभिन्न विनिवेश मॉडल अपनाए जाते है। भारत में रणनीतिक विनिवेश मॉडल इस मूल आर्थिक सिद्धान्त दवारा निर्देशित किया जा रहा है कि सरकार को इन क्षेत्रों में नहीं बने रहना चाहिए जहां प्रतिस्पर्धी बाजार पहले से आए हुए हैं और पूंजी, तकनीकी रणनीतिक निवेशक के हाथों में ऐसी कंपनियो की आर्थिक क्षमता का बेहतर पता लगाया जा सकता है,और इस प्रकार देश के जीडीपी में बढ़ोतरी होगी।

इस उददेश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हाल ही में वर्ष 2021 में सरकारी क्षेत्र की नई नीति की घोषणा की है जिसमे राष्ट्रीय सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के मानदंड के आधार पर चार रणनीतिक क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है। रणनीतिक क्षेत्रों में धारक कंपनी स्तर पर मौजूदा सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की अति न्यूनतम मौजूदगी सरकार के नियंत्रणाधीन बनाई रखी जाएगी। रणनीतिक क्षेत्र में शेष उद्यमों के निजीकरण या किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के उदयमों साथ विलय या उसके साथ सहायक कंपनी बनाने या बंदीकरण पर विचार किया जाएगा। गैर- रणनीतिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उदयमोँ के निजीकरण पर जहां व्यवहार्य होगा विचार किया जाएगा अन्यथा ऐसे उदयमों के बन्दीकरण पर विचार किया जाएगा।

[वित्त मंत्रालय (निवेश और लोक परिसंपति विभाग) फा.सं. 3/1/2008-डी.डी.II(खण्डIV), दिनांक 5 मई 2021]

सिफारिश (क्रम सं. 9)

बैड बैंक

समिति बैंक की बहियो को दुरुस्त करने और मौजूदा दबावग्रस्त ऋणो के समेकन करने और उनको ग्रहण करने और तत्समय के कीमत की वसूली के लिये आस्तियो का प्रबंधन और निपटान वैकल्पिक निवेश निधियो और अन्य सम्भावित निवेशक को करने के लिये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना के उपायों के साथ स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन के लिए उठाए गए कदम को नोट करती है। समिति एआरसी-एएमसी, जो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के स्वामित्व में होगा, की स्थापना से समेकित निर्णय लेने की प्रक्रिया के द्वारा समय की बचत और देरी से बचने की दिशा में उठाए गए इस कदम की सराहना करती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऋण का समेकन करती है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ समय के लिए अनुभवी पेशेवरों के सेट के साथ परिसंपत्ति का संचालन करती है, इसका समाधान निकालती है और फिर इसे निवेशक या एआईएफ को बेचती है। समिति को आशा है कि समेकित निर्णय लेने का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और इस प्रभाव को और गहन और व्यापक बनाने के लिये यह सिफारिश करती है कि तनावग्रस्त संपत्ति को 'बुक वैल्यू' पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट पर इसे जितने अधिक समय के लिये छोड़ दिया जाता है, उतना ही आर्थिक दृष्टि से इसका मूल्य कम होता जाता है।

सरकार का उत्तर

जैसा कि आईबीए द्वारा प्रस्तावित किया गया है, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का उद्देश्य आरबीआई के मौजूदा नियमों के अनुसार, इसे प्रभावी बनाना है, जो खुली नीलामी या स्विस चेलेंज पद्धति के माध्यम से मूल्य आदेश को अधिदेशित करता है।

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) फा.सं. 711/2021-पार्ल दिनांक 21 जून 2021]

सिफारिश (क्रम सं. 11)

विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई)

समिति समझती है कि बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए लम्बी अवधि की पूंजी की आवश्यकता है और यह अभी भी नवजात अवस्था में है और इसलिए इसके लिए एक समर्पित डीएफआई की आवश्यकता है। समिति को विश्वास है कि संप्रभु समर्थित संस्थान का होना सही रहेगा जो निवेशकों को

विश्वास दिलाएगा। साथ ही, इस तरह की संस्था होने से एक सूत्रधार की भूमिका निभाने में, एक बाजार निर्माता बनने में मदद मिलेगी, निवेशक आधार को व्यापक बनाया जा सकेगा और यह बांड बाजार के पोषण और उसे और गहन बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। समिति को सूचित किया गया कि इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे दस गुना तक उधार लिया जा सकता है यानी 2 लाख करोड़ रुपये की ऋण बही जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। आगे यह भी बताया गया कि शुरू में केंद्र सरकार के पास इसका स्वामित्व 100 प्रतिशत तक होगा और इस हिस्से को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए, अधिनियम में एक उपबंध किया जाएगा, यानी निजी डीएफआई के लिए एक लाइसेंसिंग ढांचा प्रदान किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि डीएफआई के लिए निर्धारित 20,000 करोड़ रुपये की राशि बडी है और यह अत्यंत आवश्यक है कि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए क्योंकि इस राशि की अवसर लागत अन्य सामाजिक और विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रम को प्रदान की जा सकने वाली सहायता की दृष्टि से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, समिति चाहती है कि भारत में और विश्व भर में सामने आई अड़चनों और उन पर काबू पाने के लिए, कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए इसे सफल बनाने के लिये बनाई गई कार्यान्वयन योजना का विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र, समिति को प्रस्तुत किया जाये। विशेष रूप से यह कहा गया कि डीएफआई का प्रबंधन पेशेवर की तरह किया जाएगा। समिति यह जानना चाहती है कि कैसे और किन सुरक्षापायों के साथ सरकार की निधि किसी निजि पेशेवर तरीके से प्रबंधित डीएफआई को उपलब्ध करायी जाएगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक अधिनियम, 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक की स्थापना का प्रावधान है। प्रारंभ में, यह संस्था पूर्णतः केंद्र सरकार के स्वामित्व में होगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में, प्रस्तावित संस्थान में 20,000 रुपये की पूंजी निवेश करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, केंद्र सरकार, संस्था की स्थापना से पहले वित्तीय वर्ष के अंत तक, नकद या विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संस्था को 5,000 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान या योगदान देगी। नए डीएफआई की स्थापना पर एक श्वेत पत्र संलग्न है।

अधिनियम की धारा 29 में अन्य डीएफआई की स्थापना का प्रावधान है। तथापि, किसी निजी डीएफआई को कोई सरकारी निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नहीं है। अधिनियम की धारा 29 के तहत स्थापित डीएफआई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार होगा और नए डीएफआई से दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी जमा राशि के संबंध में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा, उपरोक्त अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त विकास वित्त संस्थान को लगातार पांच निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आयकर छूट प्रदान करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2021 में अपेक्षित प्रावधान किया गया है, जिसे अगले पांच वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। चूंकि ये डीएफआई अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (नाबार्ड, एक्ज़िम बैंक, सिडबी और एनएचबी) पर लागू आरबीआई की विवेकपूर्ण संरचना के अंतर्गत, काम करेंगे, अत: इन सभी मामलों में आरबीआई की निगरानी रहेगी।

समिति की टिप्पणियां

(कृपया देखिए अध्याय एक का पैरा संख्या 13)

सिफारिश (क्रम सं. 12)

<u>संप्रभु क्रेडिट रेटिंग</u>

समिति का दृढ़ मत था कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों को दर्शाने के लिए, संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पद्धति को और अधिक पारदर्शी, कम व्यक्तिपरक और बेहतर बनाया जाना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग डिफ़ॉल्ट की संभावना को दर्शाती है और इस प्रकार यह अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, उधारकर्ता की इच्छा और क्षमता को दर्शाती है। भारत की भुगतान करने की इच्छा और क्षमता का प्रदर्शन इसके शून्य संप्रभु डिफ़ॉल्ट इतिहास के माध्यम से किया गया है और इसके बावजूद इसे निवेश ग्रेड के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, जो आर्थिक तार्किकता को नकारती है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में भारत के आधारभूत तथ्यों का कम मूल्यांकन किए जाने की बात को रेखांकित

करने और उस पर बल देने के सभी प्रयास जारी रखे ताकि भारत की शून्य संप्रभु डिफ़ॉल्ट इतिहास को दर्शाने वाली मजबूत रेटिंग सही रूप से निर्धारित हो और अर्थव्यवस्था इक्विटी और एफपीआई के सकारात्मक आगमन से लाभ हासिल कर सके।

सरकार का उत्तर

आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक विकास और राजकोषीय समेकन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत उपायों और पहलों की अद्यतन स्थिति मूडीज, फिच और एसएंडपी जैसी संप्रभु केडिट रेटिंग एजेंसियों (एससीआरए) के साथ निरंतर रूप से सांझा कर रहा है। विभाग नियमित रूप से निर्धारण एजेंसियों के साथ मासिक आर्थिक समीक्षा साझा करता रहा है। भारत सरकार के विकास पूर्वानुमान और राजकोषीय दृष्टिकोण के बारे में सूचना देने के लिए, सचिव (डीईए) और सीईए के स्तर पर टेलीकांफ्रेंसों और वार्षिक सॉवरिन ऋण निर्धारण समीक्षा की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) फा.सं. 3/5/2020-आई सी (एफ एम) दिनांक 11 मई 2021]

सिफारिश (क्रम सं. 13)

बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई.

समिति नोट करती है कि देश में जीवन बीमा की पैठ 2.82% है, जबकि सामान्य बीमा 1% से कम है, जो सभी ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। समिति जनता में बीमा की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी देने की सलाह देती है। इस क्षेत्र में एफडीआई 49% से 74% तक बढ़ाने के संबंध में, समिति महसूस करती है कि इससे बीमा पैठ और घनत्व में वृद्धि होगी और नई प्रौद्योगिकियों, नवाचारों, नए उत्पादों, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं और ग्राहक अनुभव के साथ नई पूंजी का प्रवाह होगा। इसके अतिरिक्त, समिति का सुझाव है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बीमा कंपनियां, विशेष रूप से विदेशी स्वामित्व वाली, अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करें और बीमा सुरक्षा और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा उचित सुरक्षा उपायों और निगरानी का पालन किया जाए।

सरकार का उत्तर

केंद्र सरकार ने भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021 को 19.05.2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों में सुरक्षा

उपाय किए गए हैं और जिनका विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनियों को पालन करना अपेक्षित है।

2. प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का एक संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:

i. विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनियों के संबंध में बनाए गए नियमों में यह उपबंध किया गया है कि निदेशक मंडल में अधिकांशत: और प्रमुख प्रबंधक रेजिडेंट भारतीय नागरिक हों। नियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि इसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम से कम एक रेजिडेंट भारतीय नागरिक हो।

ii. उनतालीस प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनी के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।

क. वित्तीय वर्ष जिसके लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान किया जाता है और जिसके लिए किसी भी समय सॉल्वेंसी मार्जिन सॉल्वेंसी के नियंत्रण स्तर के 1.2 गुना से कम न हो, वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ का पचास प्रतिशत सामान्य आरक्षित कोष में रखा जाएगा; और

ख. इसके निदेशकों में से कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे, जब तक कि इसके बोर्ड का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक न हो, इस मामले में बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

इसके अलावा, आईआरडीएआई ने सूचित किया है कि आईआरडीएआई उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, निगरानी तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) फा.सं. 711/2021-पार्ल दिनांक 21 जून 2021]

अध्याय – तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय – चार

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है

सिफारिश (क्रम सं. 10)

इसके अतिरिक्त, समिति की राय है कि आरबीआई 'बैड बैंक' की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यदि वह एक आदेश या अधिसूचना जारी करके प्रत्येक चरण को परिभाषित करते हुए पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, और बैंक की ओर से अस्पष्टता या विवेकाधिकार की गुंजाइश नहीं रखता है। समिति इस बात पर जोर देना चाहेगी कि इस स्तर पर एक विनियामक हस्तक्षेप अंततः उसे और अधिक सुचारु बनायेगा और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में और अधिक गति लाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को यह दर्शाना होगा कि एआरसी-एएमसी को हानि के अंतरण के लिए इसके प्रस्तावित नियम किस प्रकार से वास्तव में सर्वोत्तम है। उसके नियमों में प्रशासनिक स्पष्टता और आर्थिक तार्किकता दोनों होनी चाहिए। वर्तमान में एनपीए के रूप में किसी परिसंपत्ति को अनलॉक करने के लिए, यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मौजूदा नियामक ढांचे के अंतर्गत, एआरसी-एएमसी फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। कोई नियामक व्यवस्था/छूट अपेक्षित नहीं है। इस सिफारिश पर आरबीआई से टिप्पणियां मांगी गई थीं। आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार सूचित किया है:

"सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित संरचना को कुछ सरकारी सहायता के साथ बैंक के नेतृत्व वाली पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है। रिजर्व बैंक के लिए इस तरह के परिचालन और वाणिज्यिक पहलुओं में उद्यम करना वांछनीय नहीं हो सकता है। हालांकि, चूंकि प्रस्तावित इकाई को एआरसी के रूप में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, एआरसीएस के नियामक होने के नाते, रिजर्व बैंक ने पहले से ही एआरसीएस के कामकाज

के लिए एक नियामक ढांचा निर्धारित किया है और बैंक/एनबीएफसीएस द्वारा दबावग्रस्त संपत्तियों को एआरसीएस को अंतरित करने के लिए, सुनिर्धारित मानदंड मौजूद हैं।"

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) फा.सं. 711/2021-पार्ल दिनांक 21 जून 2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया देखिए अध्याय एक का पैरा संख्या 10)

अध्याय – पाँच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
29 जुलाई,2021
7 श्रावण, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा,
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध-एक

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक की स्थापना के संबंध में श्वेत पत्र

पृष्ठभूमि

देश में अवसंरचना वित्तपोषण के परिदृश्य के सर्वेक्षण से "विकास बैंक" के रूप में एक नई वित्तीय संस्था (विकास वित्त संस्था के रूप में संदर्भित, संक्षेप में डीएफआई, अथवा संक्षेप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, एआईएफआई) की आवश्यकता महसूस हुई, जो विशिष्ट रूप से ग्रीनफील्ड अवसंरचना वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस विकास बैंक से वित्तीय क्लोजर के आधार पर तथा अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाकर कोविड काल के पश्चात् के वास्तविक निवेश चक्र को आरंभ करने में सहायता करना अपेक्षित है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ ही बांड बाजार का भी विकास हो तथा डीएफआई इसे सहायता प्रदान करे।

विश्व भर में विकास बैंकों/डीएफआई ने आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने, बाजार की विफलताओं का समाधान करने में सहायता करने तथा निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। भारत का भी डीएफआई इतिहास समृद्ध रहा है। तथापि, इनका ध्यान मुख्यत: औद्योगिक विकास को समेकित करने पर केंद्रित रहा है न कि अवसंरचना सृजन पर क्योंकि वर्ष 2020 के शुरूआती दिनों में अधिकांश डीएफआई को सरकार द्वारा ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरीद तथा निर्माण) आधार पर गठित किया जाता था।

1990 के दशक में डीएफआई

वर्ष 1990 तक डीएफआई में सस्ते निधिपोषण के स्रोत लगभग रातों-रात समाप्त हो गए। उनके कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी पद्धतियां ऐसे युग अर्थात बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित थीं, जो समाप्त हो रही थी तथा निगरानी रखने वाले क्रेडिट ब्यूरो अथवा सीआरआईएलसी, जो उन्हें बेहतर रूप से सही सूचना देने में सहायक हो सकते थे, के बिना लाइसेंस/अनुमति पत्र दिए जाते थे। सरफासी अधिनियम (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002) को अधिनियमित नहीं किया था तथा कोई भी क्षेत्रवार कानून जैसे कि विद्युत अधिनियम अस्तित्व में नहीं थे पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) अथवा मानक छूट करार केवल नाम के लिए ही थे। अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को खोल रही थी। भावी संकट स्पष्ट था तथा चुनौती अत्यधिक प्रबल साबित हुई। इसके प्रतिउत्तर में, आईसीआईसीआई तथा आईडीबीआई सार्वजनिक बैंक बन गए, जबकि आईएफसीआई एक एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था) के रूप में स्थापित हुई।

नई डीएफआई की आवश्यकता

विगत डीएफआई के अनुभव से मिली सीख, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक और विकास बैंक के निर्माण में उपयोगी साबित हुई है। इनसे प्राप्त सीख तथा अन्य सकल डीएफआई की उपयुक्त विशेषताओं को अपनाकर, "उपयोग के लिए उपयुक्त" तथा व्यापक स्तर पर डीएफआई को बनाया जाना था, जो अवसंरचना क्षेत्र को एक स्थायी पूंजी (प्राथमिक ऋण) उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) तथा अन्य के वित्तपोषण तथा 5 यूएसडी ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में देश को समर्थ बनाने में एक निर्णायक भूमिका अदा करे।

केंद्रीय बजट 2019-20 में, सरकार ने अगले पांच वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश के अपने लक्ष्य की घोषणा की थी। इस पृष्ठभूमि में, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय/आर्थिक रूप से अर्थक्षम परियोजनाएं, जिन्हें एनआईपी में शामिल किया जा सकता है, को

अभिचिह्नित करने हेतु सरकार द्वारा अंतर-मंत्रालीय कार्य बल का गठन किया गया था। एनआईपी के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान, भारत में 111 लाख करोड़ रुपए के कुल अनुमानित अवसंरचना निवेश की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु पर्याप्त दीर्घावधि वित्तपोषण की आवश्यकता है। चूँकि एनआईपी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्षम है, एनआईपी के वित्तपोषण में, कुल अपेक्षा के 8-10% की सीमा तक डीएफआई से निधिपोषण की परिकल्पना की गई है।

अवसंरचना वित्तपोषण की चुनौतियां

अवसंरचना वित्तपोषण दीर्घावधि तथा बिना किसी अवलंब का होता है अर्थात ऋण का पुनर्भुगतान केवल परियोजना के नकदी प्रवाह से किया जाता है न कि उधारदाता की अन्य आस्तियों से। तथापि, अपनी पद्धति के अनुरूप ऐसे वित्तपोषण में जोखिम अंतर्निहित होता है। ऋण का दीर्घावधि होना, कार्यान्वयन में अनापेक्षित चुनौतियां तथा आस्तियों के कार्यनिष्पादन में अनिश्चितता ऐसे प्रमुख कारक हैं, जो जोखिम को निर्धारित करते हैं। पुनर्भुगतान परियोजना के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है क्योंकि कॉरपोरेट उधार से भिन्न परियोजना ऋणों में कोई भी अंतर्निहित संपार्श्विक नहीं होता है, जिसे भुनाया जा सके।

भारत में बैंक सामान्यत: अवसंरचना क्षेत्र को ऋण देने से कतराते हैं जो कि विगत पांच वर्ष के दौरान, अवसंरचना क्षेत्र को दिए गए बैंक उधार के एक ही स्तर पर बने रहने से प्रमाणित होता है। इसके अनेक कारण हैं। सर्वप्रथम, जबकि बैंक अधिकतर अल्पावधि जमा राशि जुटाते हैं, अवसंरचना वित्तपोषण में दीर्घावधि ऋण, जो कि 20-30 वर्ष के लिए होता है, शामिल है। दीर्घावधि वित्तपोषण की अपेक्षा का अर्थ यह है कि अधिकांश बैंक अस्ति देयता असंतुलन (एएलएम) अर्थात उनकी जमा राशि की औसतन अवधि, जो कि अल्पावधिक होती है तथा दीर्घावधि ऋण को सपोर्ट नही कर सकते, का सामना करना पड़ता है। दूसरा, अवसंरचना जोखिम में अंतर्गस्त जोखिम के फलस्वरूप ऋण की लागत अधिक होती है, जिसकी उच्चतर ब्याज दरों के माध्यम से प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे परियोजना की अर्थक्षमता प्रभावित होती है। बैंकों को यह कड़ी सीख उसके द्वारा पूर्व में दिए गए ऋण के अनुभव से मिली है, जो बाद में वही अनुप्रयोज्य आस्तियों में परिवर्तित हो गई। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक, लगभग सभी निजी बैंकों तथा एनबीएफसी उधारदाताओं ने इस व्यवसाय को छोड़ दिया है। तीसरा, जोखिम का अधिकतर भाग बैंक के हिस्से आता है क्योंकि भारत में कार्पोरेट बांड बाजार न तो पर्याप्त रूप से विस्तृत है, न ही पर्याप्त रूप से परिपक्व, जो भारत की अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा कर सके।

नई डीएफआई संबंधी दृष्टिकोण

इस उद्देश्य हेतु भूमिका, विनियम, स्वामित्व, अभिशासन व्यवस्था, उत्पाद समूह, संसाधन, आकार तथा एक कानून की आवश्यकता थी ताकि यह संस्था एक सार्थक तथा प्रभावी भूमिका निभा सके। अत: नई डीएफआई की स्थापना हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण को अपना गया:

अधिदेश – इसका उद्देश्य दीर्घावधि ऋण संस्था का निर्माण करना था, जो प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं द्वारा चालित हो, जोखिम का आकलन करे तथा जो जबावदेह/उत्तरदायी हो। डीएफआई से अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु दीर्घावधि वित्त के क्षेत्र में बाजार की विफलताओं का व्यापक रूप से समाधान होने की अपेक्षा है। चूँकि बाजार की विफलताएं अनेक पहलुओं पर निर्भर करती हैं, डीएफआई एक सामर्थ्य प्रदाता तथा उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यह एक व्यापक अधिदेश होगा जो अवसंरचना के लिए वित्तपोषण के माहौल को निर्णायक रूप से परिवर्तित करने हेतु क्षमता तथा इच्छाशक्ति प्रदान करेगा। इसमें जोखिम उठाया जाना शामिल होगा तथा इसके अभिकल्प में इस तथ्य को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए कि जोखिम को निर्धारित किए जाने की संभावना हो। आवश्यक रूप से, जोखिम तथा संभावित देयताओं को अपनाए जाने से निगरानी गार्ड रेल तथा जोखिम को कम करने और जोखिम शेयरिंग के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता होगी। नई

संस्था को दोनों, अर्थात् विकास संबंधी और वित्तीय अधिदेश प्राप्त होंगे। विकास संबंधी अधिदेश, अवसंरचना का वित्तपोषण उनके जीवन चक्र के दौरान, परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने तथा समग्र इको प्रणाली को विकसित करने के लिए, बॉन्ड इत्यादि हेतु बाजार को समर्थित करने के विशिष्ट संदर्भ में प्रदान किया गया है। मध्यम से दीर्घकाल के दौरान, बॉन्ड बाजार को इस समर्थन का उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए डीएफआई द्वारा प्रत्यक्ष ऋण के साथ बाजार से जुटाए गए ऋण को अनुपूरित करना है।

विनियामकीय ढांचा – साख के लिए संगत विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन महत्वपूर्ण है। संस्था की विशिष्ट विशेषता तथा सरकार से पूंजी अंशदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए, डीएफआई को अन्य एआईएफआई (नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक तथा एनएचबी) पर लागू विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत, परिचालित किया जाएगा।

स्वामित्व ढांचा – आरंभ में डीएफआई सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था होगी जो संस्था की स्थिरता तथा धारणीयता में विश्वास को बढ़ावा देगा जिससे यह प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने में सक्षम होगा। हिस्सेदारी में 74% तक कमी/ब्रिकी पर तब विचार किया जा सकता है जब उसने अपने व्यापारिक परिचालनों में स्थिरता हो और परिचालन विस्तृत हो।

अभिशासन ढांचा और प्रबंधन - अभिशासन ढांचे को दक्षता, सत्यनिष्ठा तथा निगरानी की अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से तैयार किया जाता है। यह भरोसा तथा विश्वास पैदा करेगा। सरकार की स्वामित्व वाली संस्था होने के बावजूद, उसे निर्णय लेने के मामले में स्वतंत्र रखा गया है। पारदर्शिता के स्पष्ट उद्देश्य, सुदृढ़ निवेशक विश्वास तथा बेहत्तर वित्तीय कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए, यह संस्था प्रभावी नियंत्रण तथा कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए स्वतंत्र निदेशकों के व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ निदेशक मंडल द्वारा संचालित होगी। बोर्ड प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को नियुक्त करेगा। मुआवजा बाजार की पद्धतियों से नियंत्रित होगी। जोखिम बचाव हेतु अपर्याप्त रूप से सूचित अभियोजन के विरूद्ध सुरक्षोपाय उपलब्ध कराए गए है। अवसंरचना वित्तपोषण के केंद्र बिंदु के रूप में, यह संस्था मौजूदा विनियमों के अंतगर्त अपेक्षाओं की तुलना में उच्चतर अभिशासन मानकों को स्वैच्छिक रूप से अपनाएगी। मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य ऋण अधिकारी तथा मुख्य प्रोद्योगिकी अधिकारी की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा स्वतंत्र रूप में परिकल्पित की गई है।

उत्पाद पोर्टफोलिया - इस संस्था का उत्पाद पोर्टफालियों व्यापक, अर्थात सभी प्रकार से अवसंरचना वित्तपोषण को सुकर बनाने के लिए, इसके संबद्ध दीर्घावधि परियोजना वित्तपोषण, अधिनस्थ ऋण, मेंजेनाइन वित्तपोषण, क्रेडिट गारंटी, वृद्धि, पुनर्वित्तपोषण, टेक-आउट, परियोजना बॉण्ड के लिए बाजार/बैंक स्टॉप खरीददार इत्यादि मौजूद हैं। इससे परियोजना संरचना, वित्तीय क्लोजर, निगरानी तथा मौद्रीकरण/पुनर्ग्रकण को सुकर बनाने के लिए, इसमें एक स्वतंत्र वर्टिकल/अनुषंगी होगा ताकि परियोजना अवधि के दौरान, इसे सहायता दी जा सके।

संसाधनों को जुटाना - न्यूनतम लागत वाली निधियों तक पहुंच के संबंध में डीएफआई की अर्थक्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, हेजिंग लागत, सरकारी गारंटी, आयकर से छूट, इसके द्वारा जारी बॉण्ड्स की एसएलआर स्थिति, पेंशन बीमा तथा भविष्य निधि इत्यादि में निवेश की पात्र स्थिति के रूप में डीएफआई के लिए न्यूनतम लागत वाली निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

सांविधिक ढांचा - 4 एआईएफआई में से प्रत्येक को देश की संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। इस डीएफआई को भी एक कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है जो

पहले से ही अधिनियमित है। यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित सरकारी सहयोग के माध्यम से साख और औचित्य प्रदान करेगा जिसमें अस्पष्टता अथवा बाजार अनुमानों का कोई स्थान नहीं होगा। इस कानून में निजी डीएफआई को स्थापित करने हेतु समर्थकारी उपबंध किए गए हैं।

आकार: आकार तथा आकांक्षाओं के साथ नई डीएफआई परिवर्तन लाएगी। 20,000 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी तथा 1 लाख करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी यह सुनिश्चित करेगी कि यह जब भी आवश्यकता हो काउंटर साइकल की भूमिका अदा कर सकता है। यह दीर्घावधि ऋण प्रदान करेगा तथा इस अपेक्षा पर कार्य करेगा कि जोखिम को निर्धारित किया जाए। अत: निगरानी तथा सुरक्षा होगी। यह आकार न केवल 5 ट्रिलियन यूएस $ अर्थव्यवस्था के अनुसार, बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय क्लोजर को प्राप्त करेगा, अपितु अवश्यंभावी जोखिम तथा आकस्मिक देयताओं से बचाव हेतु सहन शक्ति प्रदान करेगा।

संक्षेप में, डीएफआई की संरचना तथा कार्यपद्धति के लिए कई प्राथमिकताएं हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- यह स्वीकार करना कि नई डीएफआई के लिए विकासात्मक तथा वित्तीय उद्देश्य, दोनों मायने रखेंगे
- अवसंरचना वित्तपोषण के लिए बॉण्ड तथा डेरिवेटिव्स बाजार विकसित करने हेतु विशिष्ट कार्य
- 100% भारत सरकार की धारिता के साथ आरंभ करके कम से कम 26% सरकार के स्वामित्व प्रतिबद्धता
- सरकारी धन निधियों, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थाओं, पेंशन निधियों, बीमाकर्त्ताओं के लिए इक्विटी को खोलना
- एक पेशेवर बोर्ड, जिसमें 50% गैर-सरकारी निदेशकों हों
- बोर्ड के अध्यक्ष तथा गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में प्रबुद्ध व्यक्तियों की परिकल्पना की गई है।
- पूर्णकालिक निदेशकों को नियुक्त एवं निष्कासित करने की शक्ति बोर्ड को देना
- बाजार मानकों पर आधारित पारिक्षमिक जो मेधा वर्ग से सर्वोत्तम को आकर्षित करने की क्षमता प्रदान करता है।
- एमडी तथा डीएमडी के लिए उच्चतर आयु सीमा तथा लंबा कार्यकाल
- परियोजना के जीवन चक्र के अलग-अलग चरणों के लिए उपयुक्त उत्पादों का व्यापक समूह
- 5 वर्ष में एक बार अनिवार्य कार्यनिष्पादन समीक्षा
- अल्प लागत निधिपोषण हेतु छूट तथा सहायता
- अपर्याप्त रूप से सूचित अभियोजन और अन्वेषण से सुरक्षा
- निजी डीएफआई की स्थापना हेतु एक अवसर
- मूल्यांकन और निगरानी में प्रौद्योगिकी पर फोकस

ये उपाय अभूतपूर्व तथा स्पष्ट हैं, जो 1980 के दशक, जब अन्य डीएफआई जैसे सिडबी तथा एनएचबी को स्थापित किया गया था, की विचार प्रक्रिया से उपजी पुरानी सोच से निर्णायक रूप से पृथकता को दर्शाता है।

कार्यान्वयन योजना

- नई डीएफआई को स्थापित करने हेतु "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषक विकास बैंक विधेयक, 2021" को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तथा उक्त को दिनांक 28.03.2021 को अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की विभिन्न धाराओं को अधिसूचित कर दिया गया है।
- संस्था के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का चयन अग्रिम चरण में है। अध्यक्ष (सरकार द्वारा नियुक्ति के पश्चात्) तथा दो सरकारी नामिति निदेशकों को मिलाकर निदेशक मंडल (बीओडी) का गठन किया

जाएगा। बीओडी, इसके पश्चात्, बीबीबी से पूर्णकालिक निदेशकों के नाम की अनुशंसा करने हेतु अनुरोध करेगा।

- इसके साथ ही, वांछित नियमों तथा विनियमों को तैयार किया जाएगा।
- नैबफिड की स्थापना हेतु प्रबंधन परामर्शदाता के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी कर दिया गया है। प्रबंधन परामर्शदाता को शीघ्र ही नियुक्त कर लिया जाएगा। परामर्शदात्री फर्म मैनुअल, एसओपी तैयार करने, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, जोखिम निगरानी प्रणालियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी।
- डीएफआई के 2021 के अंत तक परिचालनरत होने की संभावना है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21)की चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरूवार, 29 जुलाई, 2021 को 1430 बजे से 1500 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
4. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री वल्लभनेनी बालाशोरी
7. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
8. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
9. श्री मनीष तिवारी
10. श्री राजेश वर्मा

<u>राज्य सभा</u>

11. श्री ए. नवनीतकृष्णन
12. डॉ. अमर पटनायक
13. श्री महेश पोद्दार
14. श्री सी.एम. रमेश
15. श्री जी.एल.वी. नरसिम्हा राव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वी.के. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव

2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक

3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

4. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

1. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने, निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया। तत्पश्चात् समिति ने विचार करने और स्वीकार करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को लियाः-

(i) 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन : समस्याएँ और समाधान' विषय पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय का 32वां प्रतिवेदन।

(ii) 'भारत में बैंकिंग क्षेत्र – बैंकों/वित्तीय संस्थानों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों सहित मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य की राह' विषय पर अड़सठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा 33वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(iii) 'स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण' विषय संबंधी वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य तथा राजस्व विभाग) और वाणिज्य मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा 34वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(iv) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 35वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(v) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 36वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 37वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(vii) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 38वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(viii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 39वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

कुछ चर्चा के बाद, समिति ने, उक्त प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया और उन्हें अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए, सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

परिशिष्ट

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 4)

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति(सत्रहवीं लोक सभा) के पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेष्ण।

		कुल	कुल का प्रतिशत
(एक)	सिफारिशों की कुल संख्या	13	
(दो)	सिफारिशे/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (देखिए सिफारिश क्रम सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 और 12)	12	92.31%
(तीन)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	शून्य	--
(चार)	सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं (देखिए सिफारिश सं.10)	01	07.69%
(पाँच)	सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	शून्य	--